

अध्याय-4: रिगों का भाड़े पर लेना और अधिप्राप्ति


4.1 रिग को किराये पर लेना

अपतट क्षेत्रों में पंच वर्षीय रिग आवश्यक योजना (आरआरपी) और कंपनी के पास उपलब्ध रिग संसाधनों को ध्यान में रखते हुये, रिग को किराये पर लेने की योजना अपतट क्षेत्रों में शुरू की गई थी। अभिटट क्षेत्रों में पंच वर्षीय आरआरपी के अभाव में, किराये पर लेने का निर्णय रिग परिनियोजन योजना के अनुसार वार्षिक आधार पर लिये गये थे।

किराये पर लेने का निर्णय कंपनी के निजी रिग को ध्यान में रखता है। कंपनी के पास मार्च 2014 को आठ अपतट ड्रिलिंग रिग, 67 अभिटट ड्रिलिंग रिग और 56 अभिटट पर वर्क-ओवर रिग थे। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान (2010-14), कोई भी अपतट रिग, प्राप्त नहीं हुआ था यद्यपि कंपनी के पास छह अभिटट रिग थे।

रिग की उपलब्धता के आधार पर (निजी और किराये पर जारी) ड्रिलिंग सेवा अनुभाग ने नये रिग किराये पर लेने का निर्णय लिया। रिग सामान्य तौर पर सामग्री प्रबंधन (एमएम) मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के माध्यम से तीन से पंच वर्षों की अवधि के लिये दीर्घ कालिक आधार पर किराये पर लिये जाते थे।

रिग आवश्यक मांगपत्र के माध्यम से एमएम अनुभाग को भेजी गई थी। मांग पत्र प्राप्त होने



पर, एमएम अनुभाग रिग की अपेक्षित संख्या को किराये पर लेने की प्रक्रिया शुरू करता है। प्रक्रिया में निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) जारी करना शामिल है। दो-बोली प्रक्रिया जिसमें तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाता की पहले संक्षिप्त सूची बनाई जाती है और जीतने वाली बोली का न्यूनतम वित्तीय बोली के आधार पर चयन किया जाता है। वर्ष 2010-14 के दौरान, कंपनी ने 32 निविदा जारी की (अपतट के लिये 23 और अभिटट क्षेत्रों के लिये नौ)। 23 अपतट निविदाओं में से, 6 निविदा नामांकन और 17 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) निविदाओं के आधार पर थी। नामांकन आधार पर

जारी निविदा की अपेक्षित संख्या को अपतट क्षेत्रों के लिये नौ और अभिटट क्षेत्रों के लिये नौ थेके के रूप में दिये गये थे। इन थेकों के अधीन, एमएम अनुभाग ने अपतट क्षेत्रों के लिये 23 और अभिटट क्षेत्रों के लिये 17 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) निविदाओं के आधार पर चयन किया जाता है। वर्ष 2010-14 के दौरान, कंपनी ने 32 निविदा जारी की (अपतट के लिये 23 और अभिटट क्षेत्रों के लिये नौ)। 23 अपतट निविदाओं में से, 6 निविदा नामांकन और 17 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) निविदाओं के आधार पर थी। नामांकन आधार पर

छह निविदाएँ समय से पूर्ण हुई थी। इन 32 निविदाओं के प्रति, कुछ 74 ठेके रिग को किराये पर लेने के लिये किये गये थे।

लेखापरीक्षा ने सभी 32 निविदाओं की संवीक्षा की। देखी गई कमियां और विलम्ब की नीचे चर्चा की गई है:


4.2 अपतट रिग को किराये पर लेने में विलम्ब

समेकित ड्रिलिंग परिचालन सुनिश्चित करने के लिये, कंपनी को समय से अपतट रिग को किराये पर लेना चाहिये ताकि ड्रिलिंग कार्य रिग के अभाव में लंबित न हो। एमएम मैनुअल के अनुसार, कंपनी को ठेका को अंतिम रूप देने और अपतट रिग के संघटन के लिये 375 दिनों की अधिकतम अवधि की आवश्यकता होती है (ठेके को अंतिम रूप देने के लिये 145-195 दिन और भारतीय समुद्र के बाहर रिग को उपलब्ध कराने के लिये भारतीय बोलीदाताओं के लिये पक्के आदेश की तिथि से 180 दिन)। इसलिये, निविदा प्रक्रिया उन स्थानों जो महत्वपूर्ण लागत और समय के बाद जारी किये गये थे (भू-कंपीय डाटा के अधिग्रहण, प्रक्रमण और अनुमान) पर ड्रिलिंग सक्षम करने के लिये अग्रिम रूप से शुरू की जानी चाहिये और एफवाईपी और वार्षिक योजनाओं में योजित अनुसार अन्वेषण और उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये थी।

23 अपतट निविदा मामलों (17 आईसीबी निविदाओं और छह नामांकन मामलों) में निविदा प्रक्रिया की लेखापरीक्षा संवीक्षा से आईसीबी निविदाओं का प्रत्येक स्तर पर लगातार विलम्ब का पता चला। दो नामांकन मामले और दो आईसीबी निविदाएँ समय पर पूर्ण की गई थी।

चार्ट 4.2: निविदा प्रक्रिया में विलम्ब का प्रभाव

- 13 संविदाओं में, निविदा विलम्ब से शुरू की गई थी। निविदा पूर्ण करने और रिग के संघटन की आवश्यकता निर्धारित 375 दिनों के प्रति, यह निविदा आवश्यकता से 311 से आठ दिनों पहले शुरू किये गये थे (मौजूदा रिग और ड्रिलिंग आवश्यकताओं की डी-हायर की तिथि को ध्यान में रखते हुये)। इस प्रकार, निविदा प्रक्रिया शुरू करते समय भी यह स्पष्ट था कि रिग आवश्यकता समय से पूर्ण नहीं की जा सकती थी।
- एनआईटी को अंतिम रूप देना और मांग पत्र की प्राप्ति की तिथि से 20 दिनों के अंदर जारी करना होता है (एमएम मैनुअल के अनुसार)। लेखापरीक्षा ने देखा कि 9 मामलों



में, एनआईटी लंबित हुई थी, विलम्ब 11 से 300 दिनों के बीच का था। संवीक्षा में, यह देखा गया कि विलम्ब ड्रिलिंग अनुभाग से अपूर्ण मांग पत्र की प्राप्ति या मांगपत्र जो व्यय स्वीकृति के बिना प्राप्त हुये थे के कारण था।

- एनआईटी के बाद स्पष्टीकरण के प्रत्येक चरण के लिये अतिरिक्त 20 दिनों और 5 दिन यदि निदेशक का अनुमोदन आवश्यक था और आबंटन पत्र (एलओए) के ईपीसी अनुमोदन के लिये 15 दिनों के साथ 120 दिनों के अंदर निविदा को अंतिम रूप देना चाहिये और ठेका प्रदान करना चाहिये। 17 आईसीबी निविदाओं में से, केवल तीन ठेके समय पर पूर्ण किये जा सके। 14 निविदाओं के शेष ठेके 20 दिनों से 331 दिनों तक लंबित थे।
- ठेका हस्ताक्षरित करने में भी विलम्ब देखा गया। ठेका हस्ताक्षरित करने के लिये 30 दिनों की समय सीमा के प्रति, लिया गया वास्तविक समय 21 दिनों से 313 दिनों के बीच था। इसके अतिरिक्त, 15 ठेके हस्ताक्षरित ही नहीं किये गये थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि नामांकन निविदाओं से निकले चार ठेके, ठेका अवधि समाप्त होने के नौ महीने बाद हस्ताक्षरित किये गये थे।

निविदा प्रक्रिया को विलम्ब से शुरू करने के साथ-साथ निविदा प्रक्रिया में विलम्ब और रिग के संघटन के कारण विलम्ब के परिणामस्वरूप अपतट रिग के लिये 190.27 रिग माह (अन्वेषण: 97.5 माह और विकास: 92.77 माह) की हानि हुई।

4.2.1 लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा किये गये अपतट रिग किराये पर लेने के लिये 23 निविदाओं में से पुनः किराये पर लेने और मांगपत्र में नियंत्रण योग्य विलम्ब के अलग-अलग दो उदाहरणों की उनके प्रभाव सहित नीचे चर्चा की गई है:

क. निविदा जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्ति में आस्थगन

कंपनी ने रिग जनवरी से अप्रैल 2010 के दौरान डी-हायर हो रहे थे के प्रति मुंबई क्षेत्र के लिये सात जैक अप रिग किराये पर लेने के लिये निविदा जारी की (नवम्बर 2009)। इस प्रकार, कंपनी के पास ठेकों को अंतिम रूप देने के और जारी ड्रिलिंग परिचालन के लिये रिग को संघटित करने के लिए 60 से 150 दिन थे। मौजूदा रिग को डी-हायर करने से पूर्व नये रिग किराये पर लेना एमएम मैनुअल के अनुसार निविदा के लिये अधिकतम 375 दिन बैंचमार्क और संघटन को ध्यान में रखते हुये संभव नहीं था। फिर भी, कंपनी ने रिग दिन दरों में गिरती प्रवृत्ति बताते हुये 30 दिन पूर्व सभी सात मौजूदा रिग डी-हायर करने का निर्णय लिया। समीक्षा बैठक (दिसम्बर 2009) में, कंपनी ने अपेक्षा की कि रिग की

डी-हायरिंग के परिणामस्वरूप, उसे तीन विकास कुओं (एनईए-5एच और 6एच, बी-135) की कमी, 4 साइड ट्रेक कुओं (बीई-8जेडएच, एनके-2जेड, 3जेड और बी-173ए) और मुंबई अपतट के आईक्यू बीई और बीए प्लेटफार्म पर सात वर्क ओवर कार्य सहित 2009-11 में 14.7 रिग माह की हानि होगी और इन विकास कुओं और साइड ट्रेक कुओं को पूर्ण करने से करीब 4000 बीओपीडी⁸ के उत्पादन का आस्थगन होगा।

अंत में ठेका अप्रैल 2010 में दिया गया और रिग मई 2010 और जनवरी 2011 के बीच संघटित किये गये थे। चूँकि रिग की आवश्यकता तत्काल थी, कंपनी ने इन तत्काल कुओं की ड्रिलिंग के बीच में नामांकन आधार पर रिग किराये पर लेने का उपाय किया। योजनाबद्ध कुएँ 23 से 291 दिनों के विलम्ब के बाद ड्रिल किये जा सके और उसके परिणामस्वरूप 780 दिनों के लिये उत्पादन का संचयी आस्थगन हुआ।

कंपनी ने कहा (अप्रैल 2015) कि रिग किराये पर लेने के मांगपत्र संपत्ति और बेसिन से आने वाली अवधि के लिये कार्य के अनुमान के कारण था और प्रत्यक्ष रूप से रिग की होने वाली डी-हायरिंग से संबंधित नहीं था। निविदा नवम्बर 2009 में आमंत्रित की गई थी और तकनीकी विशिष्टताओं को संशोधित करने पर कुछ सवालों के आधार पर निविदा शर्त जनवरी 2010 में बनाई गई थी और इसे अप्रैल 2010 में अंतिम रूप दिया गया था। कंपनी ने यह भी कहा कि रिग को पहले डी-हायर करने का निर्णय रिग दिवस दरों में देखी गई महत्वपूर्ण गिरती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुये लिया गया था और दर जिस पर नामांकन रूप से किराये पर लिया जा रहा था वे पूर्व किराये की दर के साथ-साथ अनुवर्ती निविदा दरों से कम दर पर थी। इसके अतिरिक्त कंपनी ने यह कहा कि इससे उत्पादन में विलम्ब हो रहा था। मौजूदा के प्रतिस्थापन के लिये समय से व्यवस्था किये बिना रिग डी-हायर करने का कंपनी का निर्णय विवेकपूर्ण प्रक्रिया नहीं है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2015) में आश्वासन दिया कि “उचित प्रतिस्थापन के बिना रिग डी-हायर करने का निर्णय” भविष्य में रिग किराये पर लेते समय ध्यान में रखा जायेगा। मंत्रालय द्वारा दिये गये आश्वासन को भविष्य की लेखापरीक्षा में देखा जायेगा।

ख. रिग को पुनः किराये पर लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय हुआ।

कंपनी ने 09 अक्टूबर 2010 को समास तीन वर्षों की अवधि के लिये रिग बद्रीनाथ किराये पर लिया। रिग 8 अक्टूबर 2010 को डी-हायर किया गया था। इसके बाद, कंपनी ने ड्रिलिंग

⁸ बीओपीडी – प्रतिदिन तेल का बैरल।

कुआं डी-11-ए के लिये 90 दिनों के लिये पहले से संविदागत दर पर नामांकन आधार पर रिग को पुनः किराये पर लेने का निर्णय लिया। पुनः किराये पर लेने का दृढ़ आदेश नवम्बर 2010 में दिया गया था और रिग 3 दिसम्बर 2010 को संघरित किया गया था। कुआं 11 दिसम्बर 2010 को खोदा गया था। कुआं ड्रिलिंग के दौरान सामना की गई कठिनाइयों के कारण, रिग ने 2 जुलाई 2011 तक अतिरिक्त समय (कुल 204 दिन) लिया। रिग बद्रीनाथ ने 3 जुलाई से 10 अगस्त 2011 तक (39 दिन) डी-एंकरिंग के लिये मौसम की प्रतीक्षा की और तदनुसार कंपनी ने ₹ 10.94 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि मौजूदा ठेको को समाप्त करने से पूर्व, कंपनी ने लगातार दो कुआं बी-100-डी (मई 2010 से अगस्त 2010 तक) और डी-11-ए (अगस्त 2010 से दिसम्बर 2010 तक) को ड्रिल करने के लिये रिग बद्रीनाथ के परिनियोजन की योजना बनाई थी। ठेके के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, ठेका कुआं पूर्ण करने के लिये समान दर पर स्वतः बढ़ाया जा सकता था, यदि रिग ठेका के समाप्ति अर्थात् 30 अक्टूबर 2011 से 30 दिन पूर्व कुएं पर परिनियोजित किया गया था।

कुएं बी-100-डी की ड्रिलिंग वास्तव में 26 सितम्बर 2010 को पूर्ण की गई थी। रिग को नये स्थान पर लेने जाने को ध्यान में रखते हुये इसलिये रिग बद्रीनाथ ठेका समाप्त होने की तिथि (30 अक्टूबर 2010) से पूर्व 30 दिनों के अंदर डी-11-ए स्थान पर परिनियोजित किया गया। जैसा कि कंपनी को पता था कि उसके पास सितम्बर 2010 में ही ठेके के समाप्त होने से पूर्व 30 दिनों से अधिक थे, रिग ठेके प्रावधान के अनुसार डी-11-ए स्थान में परिनियोजित किया जा सकता था और कुआं डी-हायरिंग और पुनः किराये पर लिये बिना पूर्ण किया जा सकता था। इसकी बजाय, कंपनी ने अक्टूबर 2010 में पुनः किराये पर लेने की प्रक्रिया शुरू की और रिग केवल दिसम्बर 2010 तक उपलब्ध कराया था जिसके परिणामस्वरूप ड्रिलिंग अवधि बरसात तक हुई। यदि कंपनी ने सितम्बर 2010 में कुएं बी-100-डी की ड्रिलिंग समाप्त होने के बाद कुएं डी-11-ए में रिग प्रतिनियोजित किया होता, ड्रिलिंग 22 अप्रैल 2011 तक पूर्ण हो जाती (कुएं की ड्रिलिंग के लिये वास्तविक रूप से लिये गये 204 दिनों को ध्यान में रखते हुए) रिग को डी-एकरिंग के लिये मौसम की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। सितम्बर 2010 में डी-11-ए कुएं में रिग का प्रतिनियोजन न होने जो संविदात्मक शर्तों के अंतर्गत अनुमत था अर्थात् ठेका समाप्त होने से 30 दिन पूर्व और उसी रिग को पुनः किराये पर लेने में दो माह के विलम्ब के कारण, ड्रिलिंग मानसून अवधि तक के लिये बढ़ गई और जिसके

परिणामस्वरूप रिग की डी-एंकरिंग के लिये मौसम की प्रतीक्षा के कारण ₹ 10.94 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

कंपनी ने निम्नलिखित उत्तर दिये (अप्रैल/मई 2015):

- (i) डी-11-ए कुआं, बी-100-डी कुआं पूर्ण होने के बाद बद्रीनाथ रिग द्वारा लिये जाना योजनाबद्ध थी। चूंकि बी-100-डी कुएं के पूर्ण होने के बाद रिग की डी-हायरिंग के लिये काफी समय था और ठेका शर्त को ध्यान में रखते हुये जिसमें कुआं पूर्ण होने/कुएं की समाप्ति तक उन्हीं दरों और निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत ठेका स्वयं ही बढ़ जायेगा, किराये पर लेने के लिये नामांकन मामला को शुरू करना उचित नहीं समझा गया।
- (ii) ठेका खण्ड 1.3 (डी) (बी-100-डी कुएं के लिये) के अनुसार, प्रचालक (कंपनी) के पास मुख्य शर्त या उसके किसी भी विस्तार की समाप्ति तिथि से अंतिम 30 दिन पूर्व किसी भी समय, यह करार समाप्त करने का विकल्प होगा, यदि (क) ड्रिल किया जा रहा अंतिम कुआं ऐसी समाप्ति तिथि से पूर्ण या छोड़ दिया गया था और; (ख) प्रचालक के विचार से, दूसरा कुआं शेष करार अवधि के अंदर ड्रिल नहीं किया जा सकता; और (ii) ठेके की डी-हायरिंग की वास्तविक तिथि, ठेके की खण्ड 1.3 (ए) के अनुसार 30 अक्टूबर 2010 थी।
- (iii) लेखापरीक्षा की सिफारिश के अनुसार, मांगपत्र में विलम्ब की समस्या के समाधान के लिये, भविष्य में, आरआरपी अपेक्षाकृत पहले बनाने की सभी प्रयास किये जायेंगे। संशोधित प्रत्यायोजित शक्तियों की बुक (बीडीपी) और नया एकीकृत एमएम मैनुअल (01 फरवरी 2015 से लागू) के अनुसार, सीएमडी, निदेशक, मुख्य प्रबंधन और कॉरपोरेट रिजूवनैशन कैम्पेन (सीआरसी) की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के स्तर में निविदा प्रक्रिया शीघ्र दक्ष तरीके से करने के लिये निर्णय लेने को विकेन्द्रीकृत करने को ध्यान में रखते हुये वृद्धि की है और यह परिवर्तन भविष्य की निविदा में रिग किराये पर लेने की प्रक्रिया में सुधार लायेगा।

इस संबंध में उत्तर विचारणीय है कि कंपनी को मई 2010 में ही पता था कि रिग बद्रीनाथ ड्रिलिंग स्थान डी-11-ए के लिये सामान्य रूप से उपलब्ध होगा। वास्तव में, रिग बी-100 कुआं पूर्ण करने के बाद 30 दिनों से अधिक के लिये उपलब्ध था और डी-हायरिंग और पुनः किराये पर लेने की प्रक्रिया के बिना डी-11-ए में परिनियोजन किया जा सकता था। तथापि, इस स्तर

पर उचित कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 39 दिनों के लिये मौसम की प्रतीक्षा के लिये रिग पर परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, पुनः किराये पर लेने की प्रक्रिया के लिये कंपनी की ओर से विलम्ब के परिणामस्वरूप दो महत्वपूर्ण रिग माह व्यर्थ हुये, बाद में मौसम की प्रतीक्षा करनी पड़ी और अंत में ₹ 10.94 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मंत्रालय ने कोई भी अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की (अगस्त 2015)।

उठाये गये सुधारात्मक कदमों के संबंध में कंपनी का आश्वासन भविष्य की लेखापरीक्षा में देखा जायेगा।

4.3 अभितट रिग किराये पर लेने में विलम्ब

2010-14 के दौरान, कंपनी ने नौ संविदा जारी की (चार निविदा अभितट ड्रिलिंग रिग को किराये पर लेने हेतु और पांच निविदा अधिक कार्य के लिये रिग को किराये पर लेने हेतु)। कंपनी एमएम मैनुअल में निर्धारित समय के अंदर केवल एक निविदा (वर्क ओवर रिग) पूर्ण करने में सक्षम रही। शेष आठ निविदा लंबित थी, विलम्ब 23 दिनों से 233 दिनों के बीच का था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के अभितट प्रचालन हेतु 200.84 रिग माह (अन्वेषण 12.39 रिग माह और विकास 33.11 रिग माह और वर्क ओवर 155.34 रिग माह) की हानि हुई।

संवीक्षा की गई नौ निविदाओं में से, पांच मामलों में मांगपत्र सहित निविदा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर काफी विलम्ब देखा गया जिनकी नीचे चर्चा की गई है:

क. निविदा प्रक्रिया में विलम्ब और बाद में उसके रद्दीकरण के परिणामस्वरूप अभितट रिग की अनुपलब्धता हुई।

कंपनी के अभितट सर्विस ग्रुप (ओएनएसजी), बडोदरा ने अभितट रिग के लिये निविदा को अंतिम रूप दिया। ग्रुप को अक्टूबर 2010 और जनवरी 2012 के बीच सर्विसेज सहित ड्रिलिंग रिग किराये पर लेने के लिये तीन मांगपत्र प्राप्त हुये। मांगपत्र, निविदा के आमंत्रण और आगे की प्रक्रिया के संबंध में विवरण नीचे तालिकाबद्ध हैं:

तालिका 4.1: अभितट रिग के लिये निविदा प्रक्रिया में विलम्ब

परिसंपत्ति/बेसिन	मांगपत्र	एनआईटी तिथि	बोली मूल्य खोला गया	एमएम मैनुअल की तुलना में निविदा प्रक्रिया में लिया गया समय (दिनों में)
त्रिपुरा परिसंपत्ति	19 अक्टूबर 2010 (30 अप्रैल 2012 को अंतिम संशोधन सहित तीन बार संशोधित)	4 मई 2012	8 मई 2013	369 (120)
अहमदाबाद परिसंपत्ति	2 जनवरी 2012	15 मार्च 2012	16 जुलाई 2013	488 (120)
एमबीए बेसिन	11 अगस्त 2011	28 अक्टूबर 2011	17 जुलाई 2013	628 (120)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, सभी तीन निविदाओं में काफी विलम्ब था। एनआईटी की तिथि से बोली मूल्य खोलने के लिये चार महीने के मानक के प्रति, कंपनी ने सभी तीन मामलों में एक वर्ष से अधिक का समय लिया। वित्तीय बोली मूल्यांकन के समय, कंपनी ने अनुमानित लागत और अंतिम खरीद दर के प्रति एल1 दर की तुलना की। चूँकि अनुमान काफी पहले लगाया गया था, प्रस्तुत दर ने उनसे मेल नहीं खाया। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी ने सभी तीन निविदाओं को रद्द किया। इन निविदाओं की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- त्रिपुरा परिसंपत्ति के संबंध में, मांगपत्र बार-बार परिशोधित/संशोधित किया गया था जिससे विलम्ब हुआ। अहमदाबाद परिसंपत्ति ने विलम्ब से मांगपत्र प्रस्तुत किया (जुलाई 2012 में अपेक्षित रिग के लिये जनवरी 2012 में) अहमदाबाद के लिये भी निविदा प्रक्रिया विलंबित हुई थी। बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण के प्रत्येक स्तर के लिये 20 दिनों के प्रति, कंपनी ने अगस्त से नवम्बर 2012 तक चार माह लिये। एमबीए बेसिन में, निविदा, बीईसी खण्ड में अनियमितता और जनवरी 2013 तक स्पष्टीकरण हेतु अधिक समय लेने के कारण एनआईटी (अक्टूबर 2011) के बाद विलंबित हुई थी। चूँकि संविदा समय के लिये प्रतिमान 160 दिन और संघटन के लिये 180 दिन था, समय प्रतिमान के पालन से भी समय (जुलाई 2012) पर रिग उपलब्ध नहीं हुई होगी।
- दिनांक 9 जुलाई 2010 के परिपत्र संख्या 23/2010 के अनुसार, फर्म जिसके प्रति बैन प्रक्रिया शुरू हुई हो को कोई भी निविदा जानकारी जारी नहीं करनी थी और उनके प्रस्ताव पर भी विचार नहीं किया जाना था। मैसर्स शिववानी ऑयल और गैस

एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड (शिववानी) दो वर्षों की अवधि के लिये बैन थी (28 जनवरी 2013) और, इसलिये निविदा समिति (टीसी) ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने की सिफारिश की जो निदेशक (टीएंडएफएस) द्वारा अनुमोदन था (फरवरी 2013)। तथापि, मैसर्स शिववानी के अनुरोध के आधार पर, कंपनी ने जब तक कंपनी द्वारा मैसर्स शिववानी के प्रति बैन हटाया गया उस अवधि के दौरान आमंत्रित निविदाओं को रोके रखा और उसका प्रस्ताव विचार हेतु पात्र हो गया। प्रक्रिया में, दो माह व्यर्थ हुये।

- iii. जुलाई 2013 में, टीसी ने 2009 (अहमदाबाद) और 2010 (एमबीए बेसिन) की खरीद दर के आधार पर तैयार अनुमान की तुलना बोली से की। टीसी ने 2010 और 2011 (त्रिपुरा परिसंपत्ति और एमबीए बेसिन), 2008 और 2011 (अहमदाबाद परिसंपत्ति) की खरीद दरों की एल1 दरों के साथ भी तुलना की, यह निष्कर्ष निकाला कि एल1 दर सभी निविदाओं के अनुमानित मूल्य और सिफारिश किये गये रद्दीकरण से अधिक थी। मूल्यवर्धन के प्रभाव को ध्यान में न रखते हुये और नवीनतम बाजार दर सुनिश्चित किये बिना अनुमान जो तीन से चार साल पुराने थे और खरीद दर जो दो से पांच साल पुराने थी से बोली की तुलना उचित नहीं थी। निविदा रद्द करने से संबंधित एक ऐसे ही मामले की सीएजी की 2009-10 की रिपोर्ट संख्या 9 के पैराग्राफ 13.5.4 में चर्चा की गई है। कंपनी अनुमानों में संशोधन के संबंध में लेखापरीक्षा की सिफारिश को नोट किया गया था और आश्वासन दिया गया कि लागत अनुमान सभी संभव ज्ञात घटकों और पर्यास डाटा में फैक्टरिंग के बाद पक्का किया जायेगा। तथापि, इन निविदाओं में ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।
- iv. निविदाओं को रद्द करने के लिये टीसी सिफारिश ने कार्यकारी खरीद समिति (ईपीसी) को प्रस्तुत करने में काफी अधिक समय लगाया। वास्तव में, बोली की वैधता मामले पर ईपीसी के विचार तक समाप्त हो चुकी थी (जुलाई और अगस्त 2013)।

अनुचित निविदाओं के रद्दीकरण से जुड़ी निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण, अपेक्षित ड्रिलिंग रिग उपलब्ध नहीं हुये। एमबीए बेसिन में, पांच एनईएलपी में आठ छिछला स्थान पीएससी ठेकों के अनुसार 22 दिसम्बर 2014 तक ड्रिल किये जाने थे और किराये पर लिये गये रिग (अगस्त 2011 में मांगपत्र) से ड्रिलिंग योजनाबद्ध थी। रिग के अभाव में, इन स्थानों में से केवल एक, ब्लॉक पीए-ओएनएन-2005/। में लाधी#1, ड्रिल किया गया था; वो भी उच्च क्षमता विभागीय रिग प्रतिनियोजित करके जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.25 करोड़

{88 दिनों X (₹ 9.89 लाख - ₹ 5.06 लाख)} का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। शेष सात स्थानों को ड्रिल नहीं किया जा सका। अहमदाबाद में, तीन योजित अन्वेषणात्मक कुओं को रिग किराये पर लेने के लिये निविदा को अंतिम रूप न देने के कारण पिछले तीन वर्षों से ड्रिल नहीं किया जा सका। त्रिपुरा परिसंपत्ति ठेके को अंतिम रूप न देने के कारण 2012-14 के दौरान योजनाबद्ध चार कुओं को ड्रिल नहीं किया जा सका।

कंपनी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि विलम्ब संभावित बोलीदाताओं के स्पष्टीकरण, कानूनी राय मांगने और मूल्य समझौते के अनुरोध पर एल1 अनुमोदन, निदेशक के अनुमोदन, निविदा की पुनः बिक्री, तकनीकी बोली खोलने में विस्तार (टीबीओ) प्राप्त करने में अतिरिक्त दिनों के कारण था। बोली मूल्य खोलना/छांटना मैसर्स शिव वानी के प्रस्तुतीकरण पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के निर्देशों के अनुसार रोक दिया गया था। निविदा के प्रति प्राप्त दर की पिछली खरीद दर और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लागत अनुमान से तुलना की गई थी।

कंपनी ने यह भी कहा कि बाहरी सलाहकारों द्वारा संशोधित लागत अनुमान अधिक थे और इसलिये, आंतरिक लागत अनुमान तैयार करने की मौजूदा प्रथा जारी रहेगी चूंकि यह बाजार की प्रवृत्ति को दर्शाता था और कंपनी की आवश्यकता के अनुसार भी था।

उत्तर को निम्नलिखित के संदर्भ में देखा जाना चाहिये:

- (i) निविदा प्रक्रिया की प्रत्येक स्तर पर अत्यधिक विलम्ब था जो कंपनी की ओर से अदक्षता दर्शाता है। उत्तर में उल्लिखित विलम्ब के कारण व्यापक रूप से नियंत्रण योग्य थे और बेहतर योजना और सामंजस्य से बचा जा सकता था।
- (ii) कंपनी ने अपने परिपत्र (जुलाई 2010 में जारी) का पालन नहीं किया जिसमें यह निर्धारित था कि बैन हुई फर्म के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके बावजूद, कंपनी ने निविदा प्रक्रिया रोकी ताकि बैन हुई फर्म इसमें भाग ले सके।
- (iii) तीन निविदा रद्द करने की टीसी की सिफारिश पर विचारविमर्श करते समय, ईपीसी ने इन मामलों को प्रस्तुत करने में विलम्ब पर नाराजगी व्यक्त की। बोली पहले से अवैध होने से, ईपीसी इस स्तर पर कोई भी माना गया निर्णय नहीं ले सकता था। इसलिये, ईपीसी की राय थी कि तीनों निविदाओं को समाप्त करने और पुनः निविदा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2015) कि स्पष्टीकरण के विभिन्न चरणों के कारण, उस पर अतिरिक्त अनुमोदन और कानूनी सलाह के परिणामस्वरूप अतिरिक्त लिया गया समय बढ़ा तथापि, ओएनजीसी ने 01 जनवरी 2015 से शक्तियों के प्रत्यायोजन को संशोधित किया और 01 फरवरी 2015 से नया एकीकृत एमएम मैनुअल जारी किया। इन नई कंपनी नीतियों के अनुसार निविदा प्रक्रिया में कुशल तरीके से तेजी लाने के लिये निर्णय लेने को विकेन्द्रीयकृत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सीएमडी, निदेशकों, मुख्य कार्यकारी आदि की प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति बढ़ाई गई। यह अपेक्षित है कि यह परिवर्तन भविष्य की निविदाओं के लिये किराये पर लेने की प्रक्रिया में सुधार लायेंगे। नए एमएम मैनुअल के अनुसार, लागत अनुमान निर्धारित तरीके से उपयोगकर्ता विभाग से अंतिम अनुमान की प्राप्ति के बाद लगाया जायेगा (प्रयोज्यता पर निभर)।

लेखापरीक्षा, प्रबंधन द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही के लिये आभार प्रकट करती है। निविदा प्रक्रिया को समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करने के लिये इन कार्यवाहियों का प्रभाव भविष्य की लेखापरीक्षा में देखा जायेगा।

ख. ड्रिलिंग रिग की चार्टर हायरिंग के लिये निविदा को अंतिम रूप न देने के परिणामस्वरूप ड्रिलिंग के लिये रिग की कमी हुई।

कार्यकारी समिति (ईसी) ने दिसम्बर 2011 में असम परिसंपत्ति के लिये चार ड्रिलिंग रिग को किराये पर लेने का अनुमोदन दिया। सेवाएं सहित इन रिगों को किराये पर लेने के लिये मांगपत्र ओएनएसजी, वडोदरा द्वारा सितम्बर 2012 में ही प्राप्त किया गया था। दिसम्बर 2012 में, कंपनी ने 15 वर्ष से अधिक पुराने रिग स्वीकार न करने की अपनी पूर्व तकनीकी शर्त को संशोधित करने का निर्णय लिया, रिग 15 वर्ष से अधिक को स्वीकार किया जा सकता था बशर्ते पांच वर्ष का कार्य करने का शेष समय कंपनी द्वारा अनुमोदित किसी एक तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई) एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया गया हो। इससे रिग के लिये एनआईटी विलंबित हुआ तथा इसे फरवरी में ही जारी किये गया। बैन की गई फर्म, मैसर्स शिव वाणी, जो बैन के कारण निविदा दस्तावेज नहीं खरीद सकती थी, के अनुरोध पर निविदा बिक्री अवधि 29 अप्रैल 2013 तक बढ़ा दी गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एक रिग के लिये एलओए अंतिम रूप से फरवरी 2015 में किया गया। शेष तीन ड्रिलिंग रिग को किराये पर लेने के लिये निविदा अभी भी प्रक्रियाधीन थी (अप्रैल 2015)।

प्रत्येक स्तर पर विलम्ब के परिणामस्वरूप असम परिसंपत्ति में मांगपत्र जारी करने की 30 माह बाद भी ड्रिलिंग रिग नहीं थे। ड्रिलिंग रिग में विलम्ब/किराये पर न लेने के कारण,

परिसंपत्ति XII एफवाईपी के दौरान 2013-14 में योजनापद्ध 31 कुओं के लक्ष्य के प्रति केवल 26 कुएं पूर्ण कर सकी।

कंपनी ने कहा (अप्रैल2015) कि काफी विचार-विमर्श के बाद, रिग के कार्यकाल के संबंध में तकनीकी बीईसी खण्ड में संशोधन कंपनी के इसी द्वारा अनुमोदित किया गया था। 06 मार्च 2013 से अधिक बिक्री अवधि बढ़ाने के संबंध में, यह कहा गया कि ईपीसी ने कंपनी के उत्तम वाणिज्यिक और परिचालन हित में अपना तर्क स्वीकार किया था। उसके बाद, फर्म के अनुरोध पर, निविदा की बिक्री ईपीसी के अनुमोदन से 11 अप्रैल 2013 तक फिर से बढ़ा दी गई थी। कंपनी ने अपने अनुपूरक उत्तर में मैसर्स शिव वानी (जिसके प्रति बैन करने की प्रक्रिया की गई थी) द्वारा मांगे गये प्रस्तुतीकरण/स्पष्टीकरण के कारण और निविदा के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के लिये मार्च/अप्रैल 2013 के दौरान निविदा बिक्री अवधि को बढ़ाने की अपनी कार्यवाही को उचित बताया।

कंपनी के उत्तर को प्रत्येक स्तर पर अनियमित विलम्ब और मैसर्स शिव वानी, फर्म जिसके प्रति बैन करने के प्रक्रिया पहले ही की गई थी (जनवरी2013) के अनुरोध पर मार्च/अप्रैल 2013 में दो बार निविदा बिक्री अवधि को बढ़ाने के कारण भी विलम्ब के संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसी अनुमोदन और मांगपत्र तैयार करने के बीच गुजर चुकी दस माह की अवधि के संबंध में निरूत्तर हैं।

ग. समय पर निविदा को अंतिम रूप न देने के परिणामस्वरूप नामांकन आधार पर रिग को किराये पर लेना

मेहसाना परिसंपत्ति ने दिसम्बर 2013/मार्च 2014 में समाप्त होने वाले ठेके के प्रति छह वर्क-ओवर (पाँच 50 रिंगें टन क्षमता और एक 100 रिग क्षमता टन) करने वाले रिग को किराये पर लेने के लिये प्रस्ताव रखा (मई 2012)। सितम्बर 2012 में जारी मांगपत्र आवश्यकता (चार 50 टन और एक 100 टन) में कटौती और अनुमानों में परिवर्तन के कारण दिसम्बर 2012 और मार्च 2013 में दो बार संशोधित हुआ था। जुलाई 2013 में इसी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, अंतिम मांगपत्र अक्टूबर 2013 में कंपनी के सामग्री प्रबंधन, ओएनएसजी को भेज दिया गया था। निविदा जारी की गई थी (जनवरी 2014) और इसके बाद तकनीकी बोली अप्रैल 2014 में खोली गई थी। तकनीकी मूल्यांकन 12 सितम्बर 2014 तक प्रगति पर था। ठेका नवम्बर/दिसम्बर 2014 में पूर्ण किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि परिसंपत्ति ने सितम्बर 2012 में पहला मांगपत्र भेजा और अंतिम मांगपत्र ईसी के अनुमोदन के लिये सात माह के बाद अप्रैल 2013 में भेजा गया था। ईसी ने अनुमोदन के लिये 3 माह लिये। इस प्रकार, कंपनी ने मांगपत्र को अंतिम रूप देने में 18 माह (मई 2012 से अक्टूबर 2013) का काफी अधिक लंबा समय लिया। मांग पत्र को अंतिम रूप देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप करीब तीन वर्ष के लिये मेहसाना परिसंपत्ति में वर्क-ओवर रिग अनुपलब्ध हुये। परिणामस्वरूप, कंपनी ने 50 टन वर्क-ओवर रिग के लिये नामांकन आधार पर मौजूदा ठेका बढ़ाया और परिसंपत्ति के 100 टन वर्क-ओवर रिग अनुपलब्ध हुये।

कंपनी ने कहा (अप्रैल 2015) कि मौजूदा संरचनात्मक ढांचे में दिशानिर्देशों के अनुसार, रिग को किराये पर लेना श्रेणी-ख मट के अंतर्गत आता है। सभी तटवर्ती कार्य केन्द्रों से आवश्यकताएं मांगी गई थीं और समेकित की गई थीं और मांगपत्र एमएम, ओएनएसजी, वडोदरा के माध्यम से प्रक्रमण के लिये रखे गये थे। इसके अतिरिक्त कंपनी ने कहा कि वर्तमान मामले में, ईसी अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, संशोधित अंतिम मांगपत्र, विशिष्टताओं में परिवर्तन और कार्यक्षेत्र सहित निविदा प्रक्रिया शुरू करने के लिये अप्रैल 2013 में ही प्राप्त हुआ था। इस प्रकार, विलम्ब से बचा नहीं जा सकता था और परिणामस्वरूप डी-हायर की गई रिग को प्रतिस्थापित करने के लिये समय पर वर्क-ओवर रिग की अनुपलब्धता हुई। इसके अतिरिक्त इससे परिचालन रोकने से बचने के लिये बीच की अवधि के लिये नामांकन आधार पर रिग किराये पर लेना आवश्यक हुआ जिससे उत्पादन में हानि हो सकती थी। इसके अतिरिक्त कंपनी ने कहा (मई 2015) कि (i) ईसी अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया 2012 से शुरू की गई थी; (ii) विलम्ब से बचने के लिये प्रतिस्थापित रिग के लिये ईसी के अनुमोदन की आवश्यकता हटाने की प्रक्रिया अपनाने के प्रयास किये जा रहे थे और (iii) यह बीच की अवधि के लिये नामांकन आधार पर वर्क-ओवर रिग किराये पर लेने या मौजूदा रिग को बढ़ाने की आवश्यकता को कम कर सकता था। मंत्रालय ने कंपनी के उत्तर को दोहराया (अगस्त 2015)। अनुपूरक उत्तर में (अगस्त 2015) कंपनी ने इसके अतिरिक्त कहा कि तीन वर्ष की मौजूदा व्यवस्था से अधिक के लिये वर्क-ओवर रिग किराये पर लेने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

सुधारात्मक कदमों के संबंध में कंपनी का आश्वासन भविष्य की लेखापरीक्षा में देखा जायेगा।

4.4 अपतट रिग के लिये निविदा प्रक्रिया में कमियां

अपतट रिग किराये पर लेने के लिये 23 निविदाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से चार मामलों में कमियों का पता चला जिनका नीचे विस्तार से वर्णन किया गया है:

4.4.1 बोली मूल्यांकन मानदंड में छूट

मुंबई उच्च परिसंपत्ति के लिये दो नये वर्क-ओवर रिग (प्लेटफार्म आपूर्ति वेसल-पीएसवी सहित) के चार्टर किराये के लिये मांगपत्र दिसम्बर 2011 में जारी किया गया था। रिग ‘एसएएजी साफरन’ और रिग ‘नंदन’ किराये पर लेने के लिये आदेश तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिये क्रमशः जनवरी और फरवरी 2013 में दिया गया था। दोनों रिग को 270 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। रिग एसएएजी साफरन का अपेक्षित उपलब्धता अक्टूबर 2013 और नंदन का नवम्बर 2013 था। कोई भी रिग अभी तक (जुलाई 2015) उपलब्ध नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि रिग एसएएजी साफरन निष्क्रिय रिग थी। यह रिग 2007 में बनाया गया था और बोली के समय (5 जून 2012) पांच वर्ष (2007 से 2012) से निष्क्रिय पड़ा था। रिग किराये पर लेने के लिये कंपनी की मानक बोली मूल्यांकन शर्त में नियत है कि बोलीदाताओं को केवल सेवा योग्य ड्रिलिंग इकाईया प्रदान करनी चाहिये और निष्क्रियता की अवधि बोली प्रस्तुत करने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। तथापि, कंपनी ने नये रिग किराये पर लेने के लिये निविदा में इस महत्वपूर्ण बीईसी में छूट दी। रिग को संघटित न करने के परिणामस्वरूप नवम्बर 2014 जब मुद्दे को लेखापरीक्षा ने नोटिस किया था तक 33 रिग माह की हानि हुई।

कंपनी ने कहा (अप्रैल 2015) कि चूँकि मॉड्यूलर रिग निविदा में विश्वभर में बहुत सीमित बोलीदाता थे, इसलिए प्रतिस्पर्धा कम थी जैसा पिछले दस वर्षों में केवल एक सफल बोलीदाता से स्पष्ट था। प्रतिस्पर्धा और भी सीमित होती यदि 5 से 6 वर्षों तक अप्रयुक्त पड़े हुए रिगों पर विचार नहीं किया गया होता और अतः प्रतिस्वर्था में सीमाबन्धन से बचने के लिए बीईसी में ऐसा प्रावधान नहीं रखा गया था। इसके अतिरिक्त, निविदा के प्रावधान के अनुसार रिग की स्थिति कम्पनी नामित टीपीआई एजेन्सी द्वारा प्रमाणित की गई थी।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि अपतट माड्यूलर रिग विभिन्न माड्यूलों का एक संयोजन है तथा जैक अप/फलोटर की तरह एक एकीकृत रिग नहीं है, अतः ऐसे रिगों की

निष्क्रिय अवधि का कोई तर्क नहीं था। इसके अतिरिक्त संघटन से पहले टीपीआई का प्रावधान रखा गया था ताकि कार्य के कार्य क्षेत्र एवं परिचालन दक्षता/सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो।

उत्तर निम्नलिखित के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं हैं:

क. महत्वपूर्ण मानक बीईसी में ढील देने तथा एक लम्बी अवधि से अ-प्रयुक्त पड़े एक कोल्ड स्टैकड रिग को स्वीकार करने के कम्पनी के निर्णय में औचित्य की कमी थी क्योंकि इसमें रिग की गुणवत्ता पर समझौता करना शामिल था। इसके अतिरिक्त, इस महत्वपूर्ण मानक बीईसी में शिथिलन करने से रिंगों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर सका था क्योंकि इसे एक वर्ष से अधिक के विलम्ब के पश्चात भी इस्तेमाल नहीं किया गया था।

ख. यह तर्क कि एक माड्यूलर रिग में मानक बीईसी खण्ड लागू नहीं है, भी गलत है। लेखापरीक्षा ने देखा कि एक एकमात्र सफल बोली दाता से प्लेटफार्म माड्यूलर रिग (जो विभन्न माड्यूलों का एक संयोजन है तथा एक एकीकृत रिग नहीं है) के मामले में बीईसी खण्ड में ढील नहीं दी गई थी।

4.4.2 एक अयोग्य ठेकेदार को संविदा प्रदान करना

कम्पनी ने XII पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए मुम्बई अपतट परिसम्पत्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पाँच 300 फुट कान्टी लीवर टाइप अपतट जैक अप रिंगों को चार्टर भाडे पर लेने के लिए एक आईसीबी निविदा आमंत्रित (अगस्त 2012) की। जून 2013 में रिग डीप सी ट्रेजर को प्रस्तुत करते हुए मैं जैक्सन इन्टरनेशनल लिमिटेड सफल बोलीदाता के रूप में उभर कर आया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- बोली मूल्यांकन मानदण्ड (तकनीकी) में जोर दिया गया था कि केवल सेवा योग्य वाले ड्रिलिंग रिग के लिए बोली प्रस्तुत की जा सकेगी। बोली के समय पर रिग डीपसी ट्रेजर नवीनीकरण एवं आंशोधन हेतु बहरीन में था। तकनीकी मूल्यांकन (मार्च 2013) से स्पष्ट था कि अप्रैल 2010 से निष्क्रिय पड़े होने के कारण रिग में विस्तृत मरम्मत की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त टीपीआई द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र से स्पष्ट था (दिसम्बर 2012) कि रिग उपस्कर स्वीकार्य स्थिति में नहीं थे तथा ड्रिलिंग गतिविधि प्रारंभ करने से पहले नवीनीकरण की आवश्यकता थी। अतः रिग की

उपयोगिता संदेहास्पद थी। तथापि, निविदा समिति ने ठेकेदार के इस आश्वासन के साथ कि इसके प्रचालन के प्रारंभ करने से पहले रिग का नवीनीकरण कर दिया जाएगा, संविदा प्रदान कर दी।

- निविदा निविर्देशनों के अनुसार योग्य रिग में न्यूनतम 6000 एचपी की उर्जा होनी चाहिए। तथापि, रिग डीप सी ट्रेजर में 1950 एचपी क्षमता के तीन इन्जन थे, अतः बोली आवश्यकता की तुलना में कम उर्जा थी। बोलीदाता आवश्यकता के अनुसार उर्जा के उन्नयन के लिए सहमत था तथा इस आधार पर संविदा प्रदान की गई थी।

संविदा प्रदान करने के (जून 2013) 72 दिनों बाद तक तीन चरणों में रिग का निरीक्षण किया गया था परन्तु यह पूरा नहीं किया जा सका। ईपीसी ने भी देखा (प्रदान करने के पश्चात) कि रिग के पास वैध श्रेणी प्रमाण पत्र नहीं था। टीपीआई द्वारा अनुमोदित उन्नयन पूर्णता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

संविदा की शर्तों के अनुसार, मैं० जैक्सन इन्टरनेशनल लिमिटेड को कर्मीदल के साथ रिग को परिनियोजित एवं जुटाना तथा पंचाट पत्र की तिथि अर्थात् 10 दिसम्बर 2013 को अथवा पहले से 180 दिनों के अन्दर संचालन प्रारम्भ करना आवश्यक था। मैं० जैग्सन रिग को जुटाने में विफल हुआ तथा संघटन अवधि को निर्णीत हर्जाने के उद्ग्रहण के साथ दिसम्बर 2013 से मई 2014 तक पाँच बार विस्तारित किया गया था। अतं मैं०, ईपीसी ने मई 2014 की अपनी बैठक में संविदा को समाप्त करने का अनुमोदन किया। तदनुसार, कम्पनी ने निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) जब्त करने के साथ मैं० जैग्सन के साथ संविदा समाप्त कर दी (मई 2014)।

रिग का स्वीकरण जो बीईसी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता था, के कारण रिग की अनुपलब्धता हुई। इसके परिणामस्वरूप 450 दिनों (अर्थात् 15 रिग माह) से अधिक की हानि हुई तथा 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान नियोजित 13 कुओं की ड्रिलिंग नहीं हुई।

कम्पनी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि बीईसी खण्ड के अनुसार, बोलीदाता को केवल उपयोगी ड्रिलिंग रिग प्रस्तुत करने चाहिए तथा ड्रिलिंग रिग की निष्क्रिय अवधि बोली के प्रस्तुतिकरण की तिथि को तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, टीबीओ (तकनीकी बोली खुलने) के समय पर रिग तीन वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय नहीं थी, इसलिए इसे तकनीकी रूप से स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त निष्क्रिय रहने की अवधि संविदा

प्रदान करने की तिथि को तीन वर्ष से अधिक हो जाती है तो बोली अस्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं था। कम्पनी ने यह भी बताया कि बोलीदाता ने प्रारंभ में 6000 एचपी की न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता के प्रति 1950 एचपी क्षमता वाले तीन इंजनों के लिए उद्धरण किया था। एक इंजन की ऊर्जा को 2100 एचपी तक उन्नत करने के लिए एक पत्र मैं^० नैप्यचून (कलपूर्जे तथा सेवाएँ उपलब्ध करने के लिए अधिकृत एजेन्सी) से प्राप्त हुआ था। यह पत्र एमओडीयू स्पेक (टीपीआई) एवं एबीएस द्वारा भी पृष्ठांकित था। इसलिए बीईसी मानदण्ड से कोई विचलन नहीं था। कम्पनी ने यह भी बताया कि डीप सी ट्रेजर की संविदा पीबीजी जब्त करने के साथ समाप्त कर दी गई थी तथा निरीक्षण की समस्त अवधि के लिए टीपीआई प्रभार जून 2014 के माह में मैं^० जैग्सन इन्टरनेशनल लिमिटेड से वसूल किए गए थे।

इससे सहमत होते हुए कि रिग महिनों की हानि हुई थी, कम्पनी ने बताया कि आगे किसी भी विलम्ब/हानि को कम करने के लिए यह मॉग डीप सी ट्रेजर के लिए करार समाप्त करने का निर्णय करने के साथ ही जारी निविदा में शामिल की गई थी तथा यह इस कारण हुई हानि को कम करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रही थी।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि कम्पनी अन्य पार्टी पूर्व बोली निरीक्षण प्रमाणपत्र की स्वीकृति के पश्चात ही किसी रिग के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करती है जो मुख्यतः ड्रिलिंग इकाईयों की स्थिति को दर्शाता है। संघटन में न केवल रिग उपस्कर शामिल है अपितु निविदा मॉग के अनुसार विभिन्न मदों की सूची, विभिन्न प्रमाणपत्र इत्यादि भी शामिल हैं। उन सभी सूचियों की जांच टीपीआई द्वारा भी की गई थी।

कम्पनी मंज़ालय के उत्तर को निम्नलिखित के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है:

- (i) टीपीआई ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट (सितम्बर 2012) में बताया कि अधिकतर उपस्कर संतोष जनक स्थिति में नहीं थे तथा ‘उद्देश्य के लिए उचित नहीं थे’ तथा इसकी समाप्ति तक (जून 2014) ‘उद्देश्य हेतू उचित लम्बित था।
- (ii) टीपीआई के अनुवर्ती निरीक्षण में भी (फरवरी 2013), यह बताया गया था कि सर्वेक्षण के समय पर शिपयार्ड कर्मीदल छोटा था, उनके महत्वपूर्ण ड्रिलिंग एवं समुद्री उपस्करों की सम्पूर्ण मरम्मत/प्रमाणीकरण कार्य आदेश चरण में था तथा प्रारंभ होने शेष थे।

(iii) तकनीकी मूल्यांकन (मार्च 2013) के समय पर रिग एवं रिग उपस्कर की उपयोगिता संदेहास्पद थी।

अन्ततः रिग को जुटाया नहीं जा सका तथा इसके फलस्वरूप कम्पनी को 15 रिग महीनों से अधिक की हानि हुई।

4.4.3 प्रतिबंधित फर्म को बोली की अनुमति दी गई

कम्पनी ने पंचवर्षीय अवधि (2010-11 से 2014-15) के लिए नीलम हीरा क्षेत्र में वर्क ओवर प्रंचालनों के लिए एक माइयूलर रिग की आवश्यकता (सितम्बर 2009) निकाली थी। रिग को भाडे पर लेने के लिए मॉग-पत्र दिसम्बर 2010 में जारी किया गया था तथा फरवरी 2011 में निविदा जारी की गई थी। तथापि, संविदा 120 दिनों की निर्धारित समयावधि के प्रति एक वर्ष पश्चात फरवरी 2012 में प्रदान की जा सकी। निविदा प्रक्रिया में असामान्य विलम्ब से क्षेत्र वर्क-ओवर रिगों के बिना रह गया तथा कार्य अपेक्षाकृत महंगे जैक-अप रिगों को लगाकर के कराया गया था।

संविदा प्रदान करने में विलम्ब कम्पनी द्वारा मै. एसएजी आर आर इन्फ्रा लिमिटेड, चेन्नै (मै. एसएजी) एक प्रतिबंधित फर्म (मार्च 2010), को बोली दस्तावेज खरीदने की अनुमति देने के कारण हुआ था। चूंकि मै. एसएजी को आगामी पूर्व बोली बैठक में अनुमत नहीं किया गया, इसलिए फर्म ने एक याचिका दायर कर दी (जून 2011) तथा विधिक कार्यवाहियों ने संविदा प्रदान करने को सात महीने तक स्थगित कर दिया। तत्पश्चात, मामला उच्च न्यालय, मुम्बई तथा उच्चतम न्यायालय दोनों स्थानों पर खारिज कर दिया गया, यद्यपि, कम्पनी ने मूल्यवान समय प्रक्रिया में गँवा दिया।

यदि प्रतिबंधित फर्म के संबंध में सूचना को कम्पनी के माध्यम से उचित रूप से प्रलेखित तथा प्रचारित किया गया होता तो, प्रतिबंधित फर्म द्वारा बोली दस्तावेज की खरीद तथा परिणामस्वरूप संविदा को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से बचा जा सकता था। अतः प्रतिबन्धित फर्मों की भागीदारिता को रोकने के लिए ई-निविदा में उचित नियंत्रणों की कमी के कारण निविदा को अन्तिम रूप देने में परिहार्य विलम्ब हुआ।

कम्पनी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि वर्तमान निविदा एक आईसीबी-ई-निविदा थी तथा निविदा दस्तावेज ऑनलाइन खरीदने का प्रावधान था। यद्यपि मै. एसएजी ने निविदा दस्तावेज आनलाइन खरीदा था, फिर भी उन्हें निविदा पूर्व-बोली चरण से ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया गया था। यदि मै. एसएजी को निविदा दस्तावेज खरीदने से रोक

दिया जाता तो भी वे बन्ध आदेश के विरुद्ध न्यायालय मे जा सकते थे तथा इस प्रकार निविदा प्रक्रिया को विलम्बित कर सकते थे। निविदा की खरीद से रोकना विधिक हस्तक्षेप प्राप्त करने से अधिकार को नहीं छीन सकता था।

कम्पनी ने यह भी बताया कि अब पालन की जारी प्रक्रिया के अनुसार कम्पनी के आईसीई⁹ अनुभाग ने प्रतिवन्धित फर्मा को प्रतिबध अवधि में निविदा दस्तावेज खरीदने से ही रोकने के लिए ई-निविदा/एसएपी में एक जॉच शामिल की थी। तदनुसार, कम्पनी ने आश्वासन दिया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावर्ति से बचने के लिए पहले ही सुधारात्मक उपाय किये गए थे।

मंत्रलय ने बताया (अगस्त 2015) कि अनुपालन हेतु कम्पनी के आश्वासन को नोट किया जाएगा। कम्पनी की सुधारात्मक कार्रवाई की देख रेख भावी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

4.4.4 समान निविदा में बोलियों के मूल्यांकन के अलग अलग मानक

रिंगों के मूल्यांकन के भाडे पर लेने के लिए नवम्बर 2009 में आमंत्रित की गई निविदा की प्रतिक्रिया में, ज्यारह (11) बोलियों प्राप्त हुई थी। तकनीकी वाणिजिक मूल्यांकन के पश्चात, पाँच संघों की मूल्य बोलियों जो तकनीकी एवं वाणिजिक रूप से स्वीकार्य पाई गई थी, अप्रैल 2010 में खोली गई थीं।

बीईसी के अनुसार, संघ बोलियों के मामले में, संघ भागीदारों द्वारा उनके द्वारा निष्पादित कार्य की प्रतिशतता के अनुपात में टर्नओवर सीमा को व्यक्तिगत रूप से पूरा करना चाहिए। मूल्य बोली खुलने के पश्चात अनुपालन प्रमाणपत्र में दी गई सूचना गलत पाए जाने के मामले में, प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा बोलीदाता को अगले तीन वर्षों के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

मै. ए1 ने मै. 'ए2' के साथ एक संघ भागीदार के रूप में बोली प्रस्तुत की थी। तथापि, मै. 'ए1' टर्नओवर मानदण्ड पर पूरा नहीं उतरा था तथा 48.85 लाख की कमी रह गई थी। ईपीसी ने अप्रैल 2010 में आयोजित अपनी बैठक में इसे एक वैध बोली माना था।

तथापि, समान निविदा के मूल्यांकन में, कम्पनी ने मै. बी1 की बोली अस्वीकार कर दी थी क्योंकि मुख्य कम्पनी यथा 'बी2' का औसत टर्न ओवर निविदा में निर्धारित सीमा से ₹ 21.13 करोड़ कम था (बोली मुख्य कम्पनी की क्षमता पर की जा रही थी)।

⁹ आईसीई- दक्षता हेतु सूचना समेकन।

अतः कम्पनी ने समान निविदा में दो बोलीदाताओं के लिए 'टर्नओवर' मानदण्ड का मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग आधार लिया था। जहाँ कम टर्नओवर के बावजूद मैं 'ए' की बोली स्वीकार की गई थी तथा जो अन्ततः सफल बोली दाता के रूप में उभरा था, वही समान आधार पर मैं. बी1 की बोली अस्वीकार कर दी गई थी।

कम्पनी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि बीईसी खण्ड के अनुसार मैं 'ए1' संघ का नेता वित्तीय मानदण्ड पर खरा नहीं उतर रहा था। तथापि ड्रिलिंग सेवाएँ (डीएस) मुम्बई क्षेत्र (एमआर) की राय थी कि भावी निविदाओं में जटिलताओं से बचने के लिए निविदा में एक विधि यथा स्थान रखने की आवश्यकता थी। मैं 'बी1' को एल-8 स्थान पर रखा गया था तथा इस निविदा के प्रति भाडे पर लिए जाने वाले रिंग तथा उनके स्थान को ध्यान में रखते हुए, बोलीदाता स्पष्ट रूप से संविदा प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धा में नहीं था।

मंत्रालय ने और कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की) (अगस्त 2015)।

उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि कम्पनी ने समान निविदा में दो बोलीदाताओं की बोलियों के मूल्यांकन में अलग अलग मानकों का उपयोग किया था जो एक स्वीकार्य व्यवहार नहीं था।

4.5 आनलैण्ड रिंगों के लिए संविदाओं के प्रबन्धन में कमियाँ

आनलैण्ड रिंगों को भाडे पर लेने के लिए 28 संविदाओं की संबीक्षा से दो वृष्टान्तों में संविदा निरूपण तथा इसके प्रबन्धन में कई कमियों का पता चला जिनका व्यौरा नीचे दिया गया है:

4.5.1 रिंग भाडे पर लेने हेतु संविदा में कमियों के कारण ठेकेदार को खराब निष्पादन के लिए दण्डित नहीं किया गया।

आनशोर सर्विस ग्रुप (ओएन एसजी) ने एकीकृत सेवाओं (सीमेन्टिंग एवं मड सेवाओं सहित) सहित आठ ड्रिलिंग रिंगों (त्रिपुरा एवं राजमंडरी परिसम्पत्तीयों के लिए (दो प्रत्येक टाईप-II असम परिसम्पत्ती के लिए तीन टाईप III तथा 1 टाईप-iv) को चार्टर भाडे पर लेने के लिए मैं. शिव वाणी के साथ वडोदरा में एक संविदा की (अक्टूबर 2008)। रिंग 2009-12 के दौरान परिनियोजित किये गए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- (i) इन आठ रिंगों का गैर उत्पादकता समय बहुत अधिक था- 30 प्रतिशत (उपलब्ध 8,569 रिंग दिवसों में से 2,532 दिवस)।
- (ii) गैर- उत्पादकता समय के एक आकलन ने दर्शाया कि इसके महत्वपूर्ण घटक हेतु (60 प्रतिशत) ठेकेदार, मैं शिववाणी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तीन सम्पत्तियों ने

291 रिंग दिवस उपस्कर की मरम्मत के कारण, 391 दिवस श्रमबल तथा सामग्री की कमी से रिंग बन्द होने के कारण तथा 842 दिवस रिंगों के चक्र से बाहर हो जाने के कारण गवँ दिए थे जिन के लिए ठेकेदार के खराब निष्पादन को जिम्मेदार ठहराया गया था।

(iii) मै. शिव वाणी द्वारा आपूर्ति किये गए रिंग एसवीयूएल-2000-27 एसवीयूएल- 2000-28, एसवीयूएल - 2000-32, एसवीयूएल-2000-33 एवं एसवीयूएल -3000-50 अधिकाँशतः ब्लॉ आउट प्रीवेन्टर (बीओपी) रबर तत्व की प्रतीक्षा में, चोक मैनीफोल्ड तथा प्रैशर गेज की प्रतीक्षा में, टॉप ड्राइव सिस्टम (टीडीएस) तथा फिशिंग उपकरणों की मरम्मत, मड क्लीनर स्क्रीन/शेल शेकर स्क्रीन के लिए बन्द रखने, सेन्ट्रीफयूज, खराब हो गए उच्च दाब होज, ड्रिलिंग सामग्री की अनुपलब्धता भाडे पर लिए गए रिंगों के साथ मड रसायनों तथा सीमेन्टिंग सेवाओं तथा कर्मदल की कमी इत्यादि के कारण निष्क्रिय पड़े रहे थे। इन सभी सुविधाओं का अनुरक्षण तथा आवश्यक उपस्कर/ उपकरण उपलब्ध कराना इत्यादि रिंगों के साथ सहायक सेवाओं के एक भाग के रूप में ठेकेदार की जिम्मदारी थी।

(iv) संविदा में सहायक सेवाओं जैसे सीमेन्टिंग तथा मड सेवाएँ उपलब्ध न कराने के लिए कोई दण्डात्मक प्रावधान शामिल नहीं था। ठेकेदार द्वारा सहायक सेवाओं के कार्यान्वयन में दिर्घकालीन विलम्ब देखा गया था परन्तु एक त्रुटिपूर्ण संविदा के कारण, इस पर कोई शास्ति नहीं लगाई जा सकी थी।

(v) ठेकेदार ने इन्टर लोकेशन मूवमेन्ट (आईएल एम) तथा रिंग बिल्डिंग के लिए कम्पनी के आन्तरिक प्रतिमानों की तुलना में अनुचित रूप से लम्बा समय लिया था। तथापि संविदा में इन गतिविधियों के लिए भी समय प्रतिमानों का प्राबधान नहीं था, इसलिए ठेकेदार पर कोई शास्ति नहीं लगाई जा सकी। ऐसे विलम्बों के प्रति एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए संविदा में आईएलएम एवं रिंग के बिल्डिंग के लिए विशिष्ट समय प्रतिमान (रिंग की दूरी तथा प्रकार के संबंध में) निर्धारित करने के लिए यह एक मजबूत मामला प्रतीत होता है।

कम्पनी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि ठेकेदारों को आईएलएम के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान किया गया था तथा परिणामस्वरूप आईएलएम में विलम्ब के लिए कोई दाण्डिक प्रांवधान नहीं था। आईएलएम की अवधि के दौरान कोई अन्य प्रभार ठेकेदारों को देय नहीं थे। जल्द से जल्दी आईएलएम पूरा करना तथा संचालन प्रारंभ करना ठेकेदार के लिए लाभकारी था ताकि यह लागू दिवस दरें प्राप्त कर सके। तथापि, कम्पनी ने स्वीकार किया कि तटर्टी क्षेत्रों में रिंग भाडे पर लेने के लिए वर्तमान निविदाओं में आईएलएम हेतु समय सीमा शामिल की गई है, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सलाह दी गई है।

कम्पनी ने यह भी बताया कि यद्यपि संविदा एकीकृत थी तथा इसमें सहायक सेवाएँ जैसे सीमेन्टिंग एवं मड सेवाएँ शामिल थी, फिर भी शास्ति खण्डों को केवल रिग के संघटन तक सीमित किया गया था। कम्पनी ने स्वीकार किया कि वर्तमान मामले में ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायक सेवाओं में दीर्घकालिक विलम्ब था परन्तु संविदा में उपयुक्त दाण्डिक प्रावधानों की अनुपस्थिति में इन विलम्बों के लिए दण्ड नहीं दिया जा सका था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि अनुपालन हेतु कम्पनी के आश्वासन को नोट किया जाएगा।

कम्पनी द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाई के कार्यान्वयन की भावी लेखापरीक्षा में देख-रेख की जाएगी।

4.5.2 संविदा समाप्त करने के लिए अनुचित प्रक्रिया का अनुसरण

ओएनएसजी, वडोदरा ने सीमान्त बेसिन के लिए ₹ 114.78 करोड़ की लागत पर दो वर्षों के लिए एक 2000 एकड़ी ड्रिलिंग रिग को चार्टर भाड़े पर लेने के लिए मै. दिवान चन्द रामसरन इन्डस्ट्रीज (पी) लिमिटेड, मुम्बई (ठेकेदार) को एक संविदा प्रदान की (फरवरी 2009)। रिग ने दिसम्बर 2009 से कुछ कमियों के साथ सीमान्त बेसिन के पहले नामित स्थान आरबीएच-सी में प्रचालन प्रारंभ किया। अप्रैल 2010 में सीमान्त बेसिन में इन कमियों को सुधारने में ठेकेदार की विफलता के कारण संविदा समाप्त कर दी। सीमान्त बेसिन ने आनलैण्ड रिगों को भाड़े पर लेने के लिए उत्तरदायी ओएन एसजी, वडोदरा को सूचित नहीं किया। ठेकेदार ने उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, शिमला के सिविल रिट याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायालय (दिसम्बर 2010) ने इस आधार पर कि कम्पनी ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, इसलिए संविदा को अमान्य घोषित कर दिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी संविदा समाप्ति की अनुचित प्रक्रिया से अवगत थी। विधिक अनुभाग, वडोदरा का विचार था कि समाप्ति पत्र (अप्रैल 2010) में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट नहीं थी तथा सीमान्त बेसिन को मामले में अधिक सावधान रहना चाहिए ताकि किसी विवाद तथा विधिक जटिलताओं से बचा जा सके। कम्पनी की मुख्य विधिक सेवाओं ने भी नोट किया कि अप्रैल 2010 से संविदा की समाप्ति संविदा के खण्ड 3.5, 3.9 तथा 22.5 में निर्धारित प्रक्रिया के कडे अनुपालन में नहीं थी।

कम्पनी यूएसडी 863,855 की निष्पादन बैंक गारन्टी को नहीं भुना सकी तथा संविदा को बढ़ाने के लिए वाध्य होना पड़ा। कार्यकारी समिति ने भी इस मामले में संविदा प्रबन्धन पर गहरी चिन्ता व्यक्त (जनवरी 2011) की थी।

कम्पनी ने बताया (अप्रैल 2015) कि रिग को एनईएलपी/पीईएल खण्ड के न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की पूर्ति के लिए भाडे पर लिया गया था जो उस समय जल्द ही समाप्त होने वाला था। समाप्ति प्रक्रिया के कडे अनुपालन में कुछ कमियाँ हो सकती हैं परन्तु रिग भाडे पर लेने में ज्यादा समय लगता था।

कम्पनी सहमत थी कि समाप्ति प्रक्रिया में कमियाँ थीं। इन चूकों की कीमत कम्पनी को संविदा के वाध्यकारी विस्तारण तथा ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई त्रुटिपूर्ण सेवाओं के बावजूद निष्पादन बैंक गारन्टी को भुनाने में अक्षमता के रूप में चुकानी पड़ी। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने आश्वासन दिया (अगस्त 2015) कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कम्पनी द्वारा सभी प्रयास किये जाएंगे। लेखापरीक्षा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई की पुष्टि करती है।

4.6 रिगों का अधिग्रहण

4.6.1 अपतट रिगों के अधिग्रहण हेतू नीति के गठन में विलम्ब

कम्पनी की अपतट ड्रिलिंग सेवाएं ग्रुप ने दिसम्बर 2002 में चार नये जैक-अप अपतट रिगों के अधिग्रहण हेतू एक प्रस्ताव प्रारंभ किया। रिगों के अधिग्रहण में विलम्ब पर 6 अगस्त 2012 को संसद के पटल पर रखी गई ओएनजीसी में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण प्रयास पर निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2012-13 की सं. 11) के लेखापरीक्षा पैराग्राफ सं. 4.2.4 में टिप्पणी की गई थी। 13 वर्षों के पश्चात भी, रिगों के अधिग्रहण के संबंध में निर्णय अभी लिया जाना था (मई 2015)।

यह देखा गया था कि कम्पनी को अभी नीजि बनाम चार्टर भाडे के रिग पर अपनी नीतिगत नीति बनानी थी। इस बीच, कम्पनी के अधिकतर निजी रिग 30 वर्ष का अपना उपयोगी जीवन काल पूरा कर चुके थे। यदि कम्पनी जल्दी ही रिगों के अधिग्रहण पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो इसे निकट भविष्य में पूर्णतः सीएच रिगों पर निर्भर होना पड़ेगा।

प्रतिक्रिया में कम्पनी ने बताया (अप्रैल 2015) कि तटवर्ती तथा अपतट दोनों संचालनों के लिए निजी बनाम सी एच ड्रिलिंग रिंगों के कारबार मॉडल का मूल्यांकन करने के लिए एक सलाहकार- मैक्सिनसे के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने इसी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की (मार्च 2014)। तटवर्ती एवं अपतट रिंगों की स्वामित्त्व नीति को अन्तिम रूप देने के पश्चात इस संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी। कम्पनी ने स्वीकार किया कि निर्णय को अन्तिम रूप देने में यथेष्ट समय बीत गया था। तथापि, इस बात पर बल दिया गया था कि लगभग ₹ 5000 करोड़ मूल्य के पूँजीगत परिसम्पत्तियों अधिग्रहण करने के ऐसे निवेश निर्णय का विस्तृत मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता थी।

जहाँ निवेश निर्णय की गंभीरता को सम्या गया था, वहाँ यह नोट किया जाना महत्वपूर्ण था कि छह में से चार जैक अप रिंग 30 वर्षों का अपना आर्थिक जीवन काल पूरा कर चुके थे जैसा कि कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया था। दो ड्रिंग जहाज यथा सागर विजय एवं सागर भूषण ने भी 25 वर्षों का अपना आर्थिक जीवन काल पूरा कर लिया था। कम्पनी ने प्रतिस्पर्धा के लिए निजी एवं चार्टर भाडे पर लिए गए रिंगों को मिश्रित रखने की महत्ता को दर्शाया था (अक्टूबर 2013)। आयु, मुख्य मरम्मतों की भारी लागत तथा निजी अपतट रिंगों के खराब निष्पादन को देखते हुए, कम्पनी को निजी बनाम भाडे पर रिंग लेने हेतु अपनी नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है जो पिछले 13 वर्षों से लम्बित है।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि कम्पनी के स्वामित्त्व वाले अधिकतर अपतट रिंग अपना उपयोगी काल पूरा कर चुके थे तथा रिंगों के अधिग्रहण से संबंधित नीति को कम्पनी द्वारा तेजी से अन्तिम रूप दिया जाएगा। कोई भी अधिग्रहण स्वामित्त्व नीति को अंतिम रूप देने के पश्चात ही किया जाएगा।

जैसा कि मंत्रालय द्वारा आश्वासन दिया गया है, 'रिंग अधिग्रहण नीति' के निरूपण एवं क्रिया वयन की देख रेख भावी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

तालिका सं.-4.2 निजी रिंगों का विन्टेज		
रिंग	विनिर्माण वर्ष	विन्टेज
जेक अप रिंग्स		
एस/गोरख	1982	33 वर्ष
एस/शक्ति	1982	33 वर्ष
एस/ज्योति	1983	32 वर्ष
एस/रत्ना	1985	30 वर्ष
एस/किरन	1988	27 वर्ष
एस/उदय	1990	25 वर्ष
ड्रिल जहाज		
एस/विजय	1985	30 वर्ष
एस/भूषण	1987	28 वर्ष

4.6.2 पांच आनलैण्ड मोबाईल ड्रिलिंग रिगों का अधिग्रहण ना करना

2010-14 तक आनलैण्ड रिगों के अधिग्रहण की समीक्षा ने इस संबंध में एक मजबूत नीति की कमी को दर्शाया। कम्पनी की कार्य कारी समिति (ईसी) ने दस आनलैण्ड ड्रिलिंग रिगों (छह टाईप -111, 2000 एचपी तथा चार 700 एचपी के मोबाईल ड्रिलिंग रिग) की खरीद का अनुमोदन किया था (जुलाई 2006)। सभी दस रिगों की खरीद का नकारात्मक एनपीवी था। तथापि, बोर्ड ने नामॉकन आधार पर ₹ 795.72 करोड़ की लागत पर मै भेल से एसी वीएफडी¹⁰ सजित केवल छह टाईप -111-2000 एचपी ड्रिलिंग रिगों की खरीद का अनुमोदन किया था (अगस्त 2011)।

इस बीच मोबाईल रिगों की आवश्यकता पाँच तक बढ़ गई थी। परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) ने अप्रैल 2011 में आयोजित अपनी 105 वीं बैठक में मूल्यांकन में दर्शाये गए नकारात्मक एनपीवी के मद्देनजर नामॉकन आधार पर मै भेल से मोबाईल रिगों की खरीद के औचित्तय को सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस की। बोर्ड ने मोबाईल रिगों की खरीद के लिए आईसीबी निविदा की सिफारिश की (अगस्त 2011)।

तत्पश्चात्, ईसी ने अभितट रिगों को भाडे पर लेने के प्रति खरीद की मितव्ययित की समीक्षा की (जून 2013) तथा देखा कि भाडा प्रभारों की आठ प्रतिशत वृद्धि पर विचार करते हुए खरीद नकारात्मक एनपीवी का कारण बनेगी। अधिग्रहण एक सकारात्मक एनपीवी केवल तभी उपार्जित करेगा जब भाडा प्रभारों की वृद्धि प्रति वर्ष 12 प्रतिशत मानी जाती। इस आधार पर, ईसी ने सैद्धान्तिक तौर पर पाँच मोबाईल ड्रिलिंग रिगों के अधिग्रहण हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया। तथापि, ईसी बैठक में, ईसी ने निर्देश दिया कि जब तक संशोधित आनलैण्ड रिग पृथक्करण नीति को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक नये रिगों की कोई खरीद अथवा विद्यमान आनलैण्ड रिगों का नवीनीकरण/उभयन नहीं किया जाएगा। तदनुसार, पाँच मोबाईल ड्रिलिंग रिगों की प्रस्तावित खरीद कार्रवाई को आगे जारी नहीं रखा गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- आनलैण्ड रिगों की खरीद से संबंधित निर्णय समनुरूप नहीं था। जहाँ छह एसी-वीएफडी ड्रिलिंग रिग नकारात्मक एनपीवी तथा रिग पृथक्करण नीति के अभाव के बावजूद खरीदे (2013) गए थे, वही पाँच मोबाईल रिग इसी आधार पर नहीं खरीदे गए थे। पाँच रिग पहले से ही कार्य से हटा दिए गए/हटाए जाने हेतु प्रस्तावित वर्तमान रिगों को

¹⁰ अल्टरनेटिव करंट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव

बदलने के लिए आवश्यक थे तथा इसलिए निर्णय ने मोबाईल रिंगों की उपलब्धता को प्रभावित किया था।

- ii. मोबाईल रिंगों को भाडे पर लेने की प्रक्रिया के भी विलम्बित होने के साथ ही, कम्पनी ने मोबाईल रिंगों की कमी का सामना किया। मेहसाना परिसम्पति में, परिसम्पति के दो रिंग पहले ही कार्य से हटा दिए गए थे। इसी प्रकार, त्रिपुरा परिसम्पति भी ओएनजीसी त्रिपुरा पॉवर लिमिटेड (ओटीपीएल) को 6.0 एमएमएस सीएमडी गैस उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा करने के लिए रिंगों की कमी का सामना कर रही थी तथा अहमदाबाद परिसम्पति अन्वेषण ड्रिलिंग का लक्ष्य पूरा करने में कठिनाई का सामना कर रही थी।

कम्पनी ने बताया (मार्च 2015) कि निजी बनाम भाडे के रिंगों के मिक्स होने पर नीति को अन्तिम रूप देने संबंधी निर्णय लम्बित था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि पृथक्करण नीति अनुमोदित की गई है तथा रिंग अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जो पंद्रह दिनों के अन्दर ईसी के समक्ष रखी जाएगी। ईसी निर्णय के आधार पर, अन्य पार्टी निरीक्षण द्वारा अलग किये जाने वाले रिंगों की संख्या के आधार पर अधिग्रहण हेतु समय-सीमा का निर्णय एक चरणवद्ध ढंग से किया जाएगा। निविदाकरण प्रक्रिया के संबंध में कम्पनी ने शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन किया (जनवरी 2015) तथा एक नया एकीकृत एमएम नियम पुस्तिका (फरवरी 2015) प्रस्तुत की है तथा ये नई नीतियों विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों भावी निविदाओं के लिए एक प्रभावशाली तरीके से निविदाकरण प्रक्रिया को तेज करेगी।

निविदाकरण प्रक्रिया को तेज करने में रिंग पृथक्करण नीति का समय पर कार्यान्वयन, अलग किये गये पुराने रिंगों के स्थान पर नये रिंगों के अधिग्रहण तथा शक्तियों के संशाधित प्रत्यायोजन के अभि लाभ एवं नई एकीकृत एमएम नियम पुस्तिका नीतियों की देखरेख भावी लेखापरीक्षा में की जाएगी।